

## कार्यालय : प्रभाराधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति, (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) बांसवाड़ा

### विज्ञप्ति

क्रमांक : स्था./ 2014 /

दिनांक : 15.07.2014

बांसवाड़ा जिला न्यायक्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अस्थाई रिक्त 13 पद व संभावित रिक्त होने वाले 02 पदों पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के अन्तर्गत पे-बैंड-पी.बी.-1-5200-20200 ग्रेड पे-1700 रूपये प्रतिमाह में, राजस्थान सरकार के परिपत्र एफ-1 (2) एफ.डी. रूल्स/2006 दिनांक 13.03.06 के अन्तर्गत दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन/प्रशिक्षणार्थी के रूप में एवं राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या F.14(1)FD (Rules)/2013-II Jaipur, Dated 28.06.2013 के अंतर्गत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400/- रूपये प्रतिमाह अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियत पारिश्रमिक पर राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त) नियम 1999 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु /नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण से भी भरा जा सकता है। जिससे रिक्त पदों की संख्या प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: एफ. 13 (20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 16.06.2013 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्तमान में रिक्त पदों में से 03 पद व संभावित रिक्त होने वाले 02 पद अनुसूचित क्षेत्र (बांसवाड़ा जिले) के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं, शेष 10 पद अनुसूचित क्षेत्र (बांसवाड़ा जिले) के सदस्यों हेतु अनारक्षित श्रेणी के हैं। बांसवाड़ा जिले के स्थानीय अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों से निर्धारित कैटेगरी के अभ्यर्थियों से रिक्तियां भरी जा सकती हैं। उपरोक्त पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों के लिये निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएँ अपेक्षित हैं तथा इन पर निम्न शर्तें लागू होगी :—

#### 01. राष्ट्रीयता :-

अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिये या उक्त नियमों में वर्णित नियम 8 की पूर्ति होनी चाहिये।

#### 02. आयु :-

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जन्म तिथि हेतु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

परन्तु यह कि अधिकतम आयु सीमा में—

- a) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा को 10 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।
- c) रिजर्व सैनिक अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित किये गये प्रतिरक्षा सेवा के कार्मिकों के लिये ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- d) कैडेट अनुदेशकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
- e) ऐसे अभ्यर्थी के लिये जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी या अस्थाई हैसियत में पहले से सेवा कर रहे हैं, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

- f) ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो अपनी दोषसिद्धी के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
- g) ऐसे अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपरी आयु सीमा को उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्त कि वह दोषसिद्धी के पूर्व अधिक आयु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
- h) भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य कास/वीर चक या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।
- i) विधवाओं, विछिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण** :— विधवा के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह (तलाक) के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

#### 03. शैक्षणिक योग्यता :-

उक्त पद पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम पांचवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना व देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा का पढ़ने व लिखने का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है।

#### 04. चरित्र :-

- a) आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसके सेवा में नियोजन के लिये अर्हित करे। आवेदक को अपने चरित्र के संबंध में ऐसे दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके रिश्तेदार न हो।
- b) प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दंडित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लंबित नहीं है और यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ पत्र में अंकित करेगा।

#### 05. शारीरिक योग्यता :-

अभ्यर्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति पर ड्यूटी ज्वाइन करने के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

#### 06. संतान सम्बन्धी सूचना :-

ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान हों, वो आवेदक राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का प्रारूप में शपथपत्र (10/- रुपये के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित) आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

#### 07. विवाह पंजीयन :-

विवाहित स्त्री/पुरुष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करेंगे तथा जिन अभ्यर्थियों का विवाह 22.05.2006 या उसके पश्चात् हुआ है वे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ पेश करेंगे तथा दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी तथा अविवाहित अभ्यर्थी नीचे अंकित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (10/- रुपये के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित) प्रस्तुत करेंगे।

## **08. पेंशन योजना :-**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ. 15 (7) एफ. डी. (रूल्स)97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या : एफ.12 दिनांक 13.03.2006 एवं दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत इस पद पर नियुक्त योग्य पाये जाने वाले आवेदक पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटैन्डेन्ट रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थाई पारितोषण के सभी नये नियम लागू होंगे।

## **09. आवेदन—पत्र :-**

आवेदक को इस विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखनी में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या 12 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि संलग्न करने होंगे। आवेदन पत्र पर आवेदक को अपना नवीनतम पासपोर्ट साईंज का फोटो भी लगाना होगा तथा आवेदन पत्र पर आवेदक को दिनांक सहित अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

## **10. आवेदन भरने की अंतिम तिथि :-**

आवेदन पत्र **दिनांक 07.08.2014** को **शाम 5.00 बजे** तक प्रभाराधिकारी, च. श्रे. कर्म. भर्ती समिति बांसवाड़ा न्यायक्षेत्र (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा) के कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिये। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस विज्ञप्ति से पूर्व में प्राप्त एवं इस विज्ञप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा। इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

## **11. साक्षात्कार :-**

सही पाये गये आवेदन पत्रों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक **18.08.2014** को चर्पा कर दी जावेगी। जिसकी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आवेदन करने वाले जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, उनके साक्षात्कार इस कार्यालय में/अध्यक्ष, चयन समिति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा) के कार्यालय में दिनांक **13.09.2014** को प्रातः 10 बजे से निरन्तरता में जारी रहेंगे।

## **12. आवेदन पत्र के साथ पेश किये जाने वाले वांछित मूल प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि :-**

आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र/प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां एवं शपथ पत्र आदि प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे :—

1. जन्म तिथी संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
2. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
3. अनुसूचित जनजाति परियोजना क्षेत्र (टीएसपी एरिया) के अन्तर्गत बनाये जा रहा विशेष मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र।
4. आयु सीमा में छूट चाहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा संवर्ग के आवेदक आदि के जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि।
5. छह माह की अवधि के अंदर के दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जो आवेदक के रिश्तेदार न हो।
6. दोषसिद्धि नहीं होने आदि के बारे में शपथ पत्र।
7. विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने बाबत् आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप में शपथपत्र।
8. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अथवा आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप—6 में शपथ पत्र।
9. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी के मामले में विभागाध्यक्ष की स्वीकृति।

**नोट :-** उपरोक्त सभी प्रलेख तथा प्रमाण पत्र आदि की सूची आवेदक को अपने स्वयं के हाथ से आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

**13. अन्य :-**

1. आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाले प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के सभी मूल प्रमाण पत्रों को आवेदक साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवेगा।
2. आवेदक द्वारा इस भर्ती में अपने पक्ष का समर्थन प्राप्त करने हेतु किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न/सिफारिश पर उसे इस पद की भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
3. एक से अधिक जीवित पत्नियों वाले पुरुष आवेदक एवं शदीशुदा ऐसे पुरुष से जिसकी पहली पत्नी जीवित हों, शादी करने वाली महिला आवेदक इस पद हेतु पात्र नहीं होंगे।
4. विवाहित आवेदक, जिसने शादी के समय किसी भी प्रकार का दहेज लिया हो, वह नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। ऐसा आवेदक चाहे स्त्री हो या पुरुष।
5. उपरोक्त पद पूर्णतया अस्थायी है एवं इन पदों की रिक्तियों को घटाया—बढ़ाया जा सकता है।
6. ऐसे आवेदक जिनको राजस्थान लोक सेवा आयोग व अन्य किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गलत या कूटरचित प्रलेखों, सूचना प्रेषित करने एवं अनुचित साधन प्रयोग में लाये जाने का दोषी घोषित किया गया हैं, वो इस पद की नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

एस.डी./-

(नाहरसिंह मीणा)  
प्रभाराधिकारी, च.श्रे.कर्म. भर्ती समिति  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक / स्था. / 2014 /

दिनांक : 15.06.2014

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
02. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश बांसवाड़ा/झूंगरपुर/उदयपुर/प्रतापगढ़/सिरोही
03. श्रीमान् जिला कलेक्टर बांसवाड़ा।
04. श्रीमान् न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, बांसवाड़ा
05. श्रीमान् न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बांसवाड़ा
06. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
07. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/कुशलगढ़
08. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा/बागीदौरा/गढ़ी/घाटोल
09. अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
10. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गढ़ी/तलवाड़ा
11. जिला नियोजन अधिकारी, बांसवाड़ा।
12. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बांसवाड़ा।
13. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, बांसवाड़ा।
14. कार्यालय प्रति।

एस.डी./-

(नाहरसिंह मीणा)  
प्रभाराधिकारी, च.श्रे.कर्म. भर्ती समिति  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
बांसवाड़ा (राज.)

**कार्यालय : प्रभाराधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति,**  
**(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा)**  
**चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन—पत्र**

1. अभ्यर्थी का नाम .....	अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
2. पिता/पति का नाम .....	
3. जन्म तिथि .....	
4. राष्ट्रीयता .....	
5. वर्ग ( अपने वर्ग पर सही <input checked="" type="checkbox"/> करें एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें ) : सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./महिला/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/विकलांग।	
6. डाक का पूर्ण पता मय मोबाइल नं. ....	
 .....	
7. शैक्षणिक योग्यता :-  .....	
8. वर्तमान में सेवारत है तो पद, नियुक्ति की दिनांक मय विभाग : पद ..... नियुक्ति दिनांक ..... विभाग/कार्यालय .....	
9. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम — .....	
10. वैवाहिक स्थिति (विवाहित होने की स्थिति में विवाह की दिनांक व संतानों की संख्या अंकित करें) .....	

(आवेदक के हस्ताक्षर)  
मय दिनांक व पता

**वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र :-**

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र।
3. विशेष मूल निवास स्थान प्रमाण पत्र
4. आरक्षण/आयु सीमा में छूट हेतु जाति प्रमाण पत्र।
5. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं हों।
6. राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष से स्वीकृति पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
7. दोषसिद्धि नहीं होने बाबत् शपथ पत्र 10/- रुपये के स्टाम्प पर
8. दो से अधिक सन्तान न होने व दहेज न लेने के संबंध में शपथ पत्र 10/- रुपये के स्टाम्प पर
9. विवाह पंजीयन/विधवा/विधुर/तलाकशुदा के संबंध में प्रमाण पत्र अथवा 10/- रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र

प्रपत्र-6शपथ पत्र

मैं/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमति .....  
 निवासी ..... शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेरा विवाह श्रीमति  
 ..... निवासी ..... के साथ सम्पन्न हुआ था  
 परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक ..... को सम्पन्न होने के कारण  
 पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमति/श्री ..... निवासी ..... के  
 साथ दिनांक ..... को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत  
 नहीं हुआ है।

या

मैं ..... अविवाहित हूँ।

या

मैं ..... विधुर/विधवा हूँ (पत्नी/पति श्री/श्रीमति .....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री ..... के साथ दिनांक .....  
 ..... को सम्पन्न हुआ था।

स्थान :-

हस्ताक्षर

दिनांक :-

शपथकर्ता

घोषणा— पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
 निवासी ..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.06.2002  
 के पश्चात तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है।

या

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री .....  
 निवासी ..... यह घोषण करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ।

स्थान :-

हस्ताक्षर

दिनांक :-

घोषणाकर्ता